



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21625

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3129 वर्ष 2026

शिव कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आपराधिक विविध छूट आवेदन संख्या 01/2026 स्वीकार किया जाता है।

4. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 722/2025, धारा 115(2), 351(3), 352, 103(1)/3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन जगदीशपुरा, जिला आगरा, में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने तीन अन्य सह-आरोपियों, विजय, पवन और जीतू के साथ मिलकर मृतक पर हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप 24.10.2025 को शाम लगभग 7.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई है और अभियोजन पक्ष की ओर से देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य और व्यापक आरोप हैं। आवेदक पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। यहां तक कि मृतक की पत्नी श्रीमती सुनीता ने भी धारा 180 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में वर्तमान आवेदक को हमले में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है। आवेदक को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि समान परिस्थितियों में पकड़े गए सह-आरोपी विजय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 22.1.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2370/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक की भूमिका सह-आरोपी की भूमिका से भिन्न नहीं है, इसलिए आवेदक समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास नहीं है। वह 26.10.2025 से जेल में बंद है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया।

8. समान स्थिति वाले सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 3 एससीसी 22** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. आवेदक **शिव कुमार**, जो के मुकदमा अपराध संख्या 722/2025, धारा 115(2), 351(3), 352, 103(1)/3(5) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन, जगदीशपुरा, जिला आगरा में आरोपित हैं, को व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी जमानतदारों को, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतों का सत्यापन किया जाए।

(i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

30 जनवरी 2026

एस एस

(न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।